

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 9/45  
दिनांक : 28-11-2020

सेवा में,  
सचिव,  
ज्ञान भारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज,  
जेवरी खिर्वा रोड, कंकरखेडा, मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.11.2020 अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N. Name  
Dr. Ruchi Garg

Design  
Principal

Qualification  
M.A. (Eng.) M.Ed., Ph.D.

Univ. Expert 1 -  
Prof. Jagbir Singh  
CCS University, Meerut  
Prof. Beer Pal Singh  
CCS University, Meerut  
Prof. Atvir Singh  
CCS University, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर शासन/ यूजीसी/ एनसीटीई/ बीसीआई/ एमसीआई/ एनसीआई/ सीसीआई/ एआईसीटी के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/ त्यागपत्र/ निष्कासन की दशा में दिये गये 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे प्राचार्य के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्रावधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/ महाविद्यालय का होगा। चयनित प्राचार्य के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहायक कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut

148



पत्रांक : सम्बद्धता/३४२३  
दिनांक : ३०/१२-२०११

सेवा में,  
सचिव  
ज्ञान भारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज,  
जेवरी, खिर्वा रोड, कंकरखेड़ा,  
मेरठ

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 08.12.2011 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्राचार्य एवं प्रवक्ता पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr.Ram Kumar Tyagi	Principal	M.Sc. (Maths), B.Ed., M.Ed Ph.D. (Edu.)	Dr.C.Shekhra Sharma Retd. N.A.S.College, Meerut
2-	Mrs.Anita Garg	Lecturer	M.A.(Hindi), B.Ed. M.Ed.,	—do—
3-	Mr.Dhan Singh	Lecturer	M.A.(Geog.), B.Ed., M.Ed	—do—
4-	Mr.Digvijay Singh	Lecturer	M.Sc (Bot.), B.Ed., M.Ed	—do—
5-	Mr.Neeraj	Lecturer	M.A.(Pol.Sci.), B.Ed., M.Ed	—do—
6-	Ms.Gunjan Rathore	Lecturer	M.A.(Hist.), B.Ed., M.Ed	—do—
7-	Mr.Sanjeev Kumar	Lecturer	M.A.(Eng.), B.Ed., M.Ed	—do—
8-	Mrs. Uma Goel	Lecturer	M.A.(Eco./Edu.), B.Ed	—do—

सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ द्वारा प्राचार्य एवं प्रवक्ता पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों की संस्तुति की गयी है। विषय विशेषज्ञ की संस्तुति एवं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों को एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,  
30.12.11  
उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut

198



पत्रांक : सम्बद्धता/2415  
दिनांक : 21-10-2016

सेवा में,  
सचिव,  
ज्ञान भारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज,  
जेवरी, खिर्वा रोड, कंकरखेड़ा  
मेरठ।


महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.08.2016 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में स्वयंसेवा प्रोथित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रवक्ता पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Mangay Ram	Lecturer	M.A.(Socio.),B.Ed,M.Ed	Dr.Shikha Chaturvedi N.A.S.College, Meerut
2-	Kuldeep Kishor	Lecturer	M.Sc (Maths),B.Ed.,M.Ed	Dr.Manju Gupta Meerut College, Meerut
3-	Anil Kumar	Lecturer	M.A.(Hist.),B.Ed.,M.Ed	—do—
4-	Billu Sangwan	Lecturer	M.A.(Hindi),B.Ed.,M.Ed	—do—
5-	Reeta Pathak	Lecturer	M.Sc (Chem.),B.Ed.,M.Ed	—do—

सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रवक्ता पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों की संस्तुति की गयी है। विषय विशेषज्ञ की संस्तुति एवं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों को एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार प्रवक्ता पद पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्काशन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

  
उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut

1/40



सेवा में,  
प्राचार्य,  
ज्ञान भारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज,  
जेवरी, खिर्वा रोड, सरधना  
मेरठ।

पत्रांक : सम्बद्धता/3166  
दिनांक : 7.1.2016

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 26.11.2015 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में स्वयंसेवा योजना के अंतर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रयत्न समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रवक्ता पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification
1-	Mr.Amit Kumar	Lecturer	B.P.Ed.,M.P.Ed
2-	Mrs.Rakhi	Lecturer	M.A.(Drg.&Ptg.),B.Ed., M.Ed
3-	Mrs.Reena Singh	Lecturer	M.A.(Music)

Univ. Expert  
Dr.Harendra Singh  
Sanjay Gandhi (P.G.) College  
Sarurpur Khurad, Meerut  
Dr.Sunil Dhiman  
MM College, Khakra,  
Baghpat  
Dr.Nitu Vashisth  
K.K.Jain College, Khatauli  
Dr.Vedpal Singh  
D.A.V.College, MZN  
Dr.Madhuri Sharma  
VMLG College, GZB  
Dr.Jaya Sharma  
AKP College, Hapur

सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रवक्ता पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों की संस्तुति की गयी है। विषय विशेषज्ञ की संस्तुति एवं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों को एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार प्रवक्ता पद पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

4-1-16  
उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव